

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
विन्ध्य वैली पब्लिक स्कूल
ग्राम-डवक, पोर्ट-बुरी
जमालपुर, मीरजापुर

पत्रांक-मान्यता / 4664-70 / 2014-15 / दिनांक 11-9-2014

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मीरजापुर विन्ध्य वैली पब्लिक स्कूल, ग्राम-डवक, पोर्ट-बुरी, जमालपुर मीरजापुर को दिनांक 01.09.2014 से दिनांक 31.08.2017 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम के नर्सरी से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपांध 2) के ~~उपबंधों का पालन करेगा।~~
- 3- ~~डॉ. (मिस्ट्री) पूनम सिंह~~ Dr. (Mrs.) Poonam Singh (मान्यता प्राप्ति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को जिन्हें विद्यालय में प्राप्ति करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक ~~शिक्षा~~ Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya K.V. Varanasi (Campus), Varanasi, UP में जाने तक उपलब्ध कराएंगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 1 ~~में~~ मीरजापुर मान्यता प्रदान करने के लिए उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होनी तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से विष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अन्यान्य विकार से बचाया जायेगा।

MIRJAZAPUR
WINNERS AWARD WINNING PUBLIC SCHOOL
MANAGER
Vindhya Valley Public School
Chandauli
क्रमांक: 2

(2)

- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निषेकता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 6990 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र— 994.51 वर्ग मीटर

क्रीड़ा रथल का क्षेत्रफल— 1 बिस्त्वा

कक्षाओं की संख्या— 11

प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भृष्टार के लिए कक्ष—03

बालक और बालिकाओं के लिए प्रथम प्राचीन शौचालय—03 बालक / 03 बालिका

प्राचीन शौचालय—03 बालिका

मिछूर द्वारा दिया गया विनियम—01 कक्ष

बाध्यापद्धति प्राचीन शौचालय—01, कालानासी (Kalanasi), Varanasi

अध्यापक व्यक्तिगत शौचालय—01, कालानासी (Kalanasi), Varanasi

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

A
Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Meja Khas, Allahabad (U.P.)

MANAGER
INDHYA VALLEY PUBLIC SCHOOL
KRM: DAWANIK, JAMALPUR
MIRzapur

Principal
Indhya Valley Public School
Dawank Baburi Chandauli

(3)

- 14— आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक E/NUPS/16/14 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।
- 16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
- 17— संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(धीरेन्द्र नाथ सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर

पृ० सं० मान्यता /

/ 2014–15 / तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उप्रेक्षा उल्लेखनऊ।
2. सचिव (अधिकारी) बैठक संविधान परिषद इलाहाबाद।
3. मण्डलीला स्थानीय प्रशिक्षित निदेशक व्यंचम मण्डल वाराणसी / विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
4. जिला सूचनार्थी कृष्णपुर अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक / पिछड़ा वर्ग / जिला विकलांग अधिकारी मीरजापुर।
5. वारिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय / नगर शिक्षा अधिकारी / सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी) मीरजापुर।
6. कार्यालय प्रति।

(धीरेन्द्र नाथ सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर

Principal
Vindhya Valley Public School
Dawank Baburi Chandauli

A.P.S.M.
MANAGER
VINDHYA VALLEY PUBLIC SCHOOL
DAWANK, JAMALPUR
MIRZAPUR